राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 97 / 2021

बंशीधर पुत्र बीरबल उम्र 73 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम ढाणी परमला तन् कालोटा हाल आबाद ग्राम बेसरड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......प्रार्थी

ब–ना–म

1. झाबर पुत्र बिड़दा
2. धोलाराम पुत्र बिड़दा
3. फुलाराम पुत्र बिड़दा
4. रतिराम पुत्र बिड़दा
5. रामसहाय पुत्र बिड़दा
6. कृष्णा देवी पत्नी थांवरमल
7. छिमली देवी पत्नी नानचाराम
8. नानचा पुत्र गुरुदयाल
9. श्रीराम पुत्र गुरुदयाल
10. बिड़दा पुत्र गुरुदयाल
11. मन्नी देवी पत्नी श्रीराम
12. मुला पुत्र भाताराम
13. माला पुत्र भाताराम
14. सांवता पुत्र भाताराम

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम बेसरड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

15. इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा कोलिहान नगर जरिये शाखा प्रबंधक।
16. इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा मेहाड़ा जाटूवास जरिये शाखा प्रबंधक।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......अप्राथीगण

प्रार्थना पत्र बाबत दिलाये जाने रास्ता

अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री हेमराज सिंह – प्रार्थी की ओर से
2. श्री पीयूष सुरोलिया – अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 की ओर से
3. श्री महेन्द्र सिंह निर्वाण – अप्रार्थीगण सं. 6 से 14 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:42:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

:: निर्णय :: दिनांक 22–04–2022

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम बेसरड़ा पटवार हल्का मेहाड़ा जाटूवास तहसील खेतड़ी स्थित जमाबंदी अंतिम चौसाला संवत् 2076 लगायत 2079 के खाता संख्या नया 126 में दर्ज खसरा नंबर 326 रकबा 0.34 है., ख.नं. 327 रकबा 0.25 है., ख.नं. 328 रकबा 0.26 है., ख.नं. 391 रकबा 0.12 है., ख.नं. 394 रकबा 0.20 है., ख.नं. 395 रकबा 0.10 है., ख.नं. 396 रकबा 0.16 है., ख.नं. 397 रकबा 0.38 है., ख.नं. 402 रकबा 0.23 है., ख.नं. 403 रकबा 0.29 है., ख.नं. 404 रकबा 0.36 है., ख.नं. 407 रकबा 0.11 है., ख.नं. 408 रकबा 0.19 है., ख.नं. 411 रकबा 0.21 है., ख.नं. 412 रकबा 0.24 है., ख.नं. 413 रकबा 0.34 है., ख.नं. 414 रकबा 0.36 है., ख.नं. 415 रकबा 0.01 है., ख.नं. 416 रकबा 0.09 है., ख.नं. 417 रकबा 0.37 है., ख.नं. 422 रकबा 0.25 है., ख.नं. 423 रकबा 0.25 है., ख.नं. 424 रकबा 0.23 है., ख.नं. 431 रकबा 0.23 है., ख.नं. 440 रकबा 0.42 है., ख.नं. 441 रकबा 0.40 है. कुल किता 26 कुल रकबा 6.39 है. की भूमि में प्रार्थी हिस्सा 1/24 का खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा शेष हिस्सा अन्य खातेदार काश्तकारों के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। प्रार्थी बाहमी बंटवारे के अनुसार खसरा नंबर 326 रकबा 0.34 है. की भूमि पर काबिज काश्त है। ग्राम बेसरड़ा तहसील खेतड़ी स्थित जमाबंदी अंतिम चौसाला संवत् 2076 लगायत 2079 के खाता संख्या नया 103 में दर्ज खसरा नंबर 296 रकबा 0.54 है., ख.नं. 298 रकबा 0.23 है., ख.नं. 302 रकबा 0.48 है., ख.नं. 311 रकबा 0.06 है., ख.नं. 315 रकबा 1.11 है., ख.नं. 316 रकबा 0.33 है., ख.नं. 317 रकबा 0.28 है., ख.नं. 319 रकबा 0.16 है., ख.न. 324 रकबा 0.03 है., ख.नं. 325 रकबा 0.78 है., ख.नं. 419 रकबा 0.49 है., ख.नं. 420 रकबा 0.31 है., ख.नं. 421 रकबा 0.71 है., ख.नं. 428 रकबा 0.49 है. कुल किता 14 कुल रकबा 6.00 है. की भूमि मूं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 11 प्रत्येक हिस्सा 1/12, 1/12 के संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा मौके पर भूमि पर काबिज काश्त है। ग्राम बेसरड़ा तहसील खेतड़ी स्थित जमाबंदी अंतिम चौसाला संवत् 2076 लगायत 2079 के खाता संख्या नया 134 में दर्ज खसरा नंबर 299 रकबा 0.12 है., ख.नं. 300 रकबा 0.55 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.67 है. की भूमि में अप्रार्थी सं. 12 लगायत [illegible] प्रत्येक हिस्सा 1/3, 1/3 के संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा मौके पर भूमि पर काबिज काश्त हैं। ग्राम बेसरड़ा तहसील खेतड़ी स्थित जमाबंदी अंतिम चौसाला संवत् 2076 लगायत 2079 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:42:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

खाता संख्या नया 211 में दर्ज खसरा नंबर 320 रकबा 0.39 है., ख.नं. 322 रकबा 0.19 है., ख.नं. 323 रकबा 0.20 है., ख.नं. 427 रकबा 0.35 है., ख.नं. 442 रकबा 0.48 है. कुल किता 5 कुल रकबा 1.61 है. की भूमि में अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 प्रत्येक हिस्सा 1/6, 1/6 के संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा मौके पर भूमि पर काबिज काश्त है। ग्राम बेसरडा तहसील खेतड़ी स्थित जमाबंदी अंतिम चौसाला संवत् 2076 लगायत 2079 के खाता संख्या नया 12 में दर्ज ख.नं. 321 रकबा 0.39 है. की भूमि में अप्रार्थी सं. 6 लगायत 1 प्रत्येक का हिस्सा 1/6, 1/6 के संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। खातेदार श्रवण पत्नी बिड़दा फौत हो चुकी है जिसके विधिक वारिशान पहले से ही दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी के खेत ग्राम बेसरडा स्थित खसरा नंबर 326 रकबा 0.34 है. भूमि में जाने के लिए बेसरडा से नांगलिया गुर्जरवास मुख्य सडक से अप्रार्थीगण की कब्जा काश्तशुदा भूमि खसरा नंबर 302 रकबा 0.48 है. की उत्तरी मेड के सहारे–सहारे फिर खसरा नंबर 300 रकबा 0.55 है. की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे फिर खसरा नंबर 315 रकबा 1.11 है. की पूवी मेड के सहारे–सहारे फिर खसरा नंबर 323 रकबा 0.20 है. की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे फिर ख.नं. 321 रकबा 0.39 है. की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 326 रकबा 0.34 है. भूमि में जाने के लिए कदीमी रास्ता है, उसी से होकर प्रार्थी अपने खेत में आता जाता है और इधर से ही प्रार्थी अपने खेत में साधन लाता व ले जाता है, इसके अलावा प्रार्थी के पास अपने खेत खसरा नंबर 326 में साधन लाने ले जाने व आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता ही प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 326 रकबा 0.34 है. तक पहुंचने के लिए मौजूद है जो सबसे छोटा व मुख्य सडक से सबसे कम दूरी का है। इस कारण प्रार्थी को कानून के अनुसार 12 फुट चौड़ा रास्ता प्राप्त करने व राजस्व रिकार्ड में तरमीम करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के जरिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की पालना करने के लिए तैयार व तत्पर है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के खेत ग्राम बेसरडा स्थित खसरा नंबर 326 रकबा 0.34 है. भूमि में जाने के लिए बेसरड़ा से नांगलिया गुर्जरवास मुख्य सडक से अप्रार्थीगण की कब्जा काश्तशुदा भूमि ख.नं. 302 रकबा 0.48 है. की उत्तरी मेड के सहारे–सहारे फिर खसरा नंबर 300 रकबा 0.55 है. [illegible] के सहारे–सहारे फिर ख. नं. 315 रकबा 1.11 है. की पूर्वी मेड [illegible] रकबा 0.20 है. की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे फिर ख.नं. 321 रकबा 0.39 [illegible] की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे प्रार्थी के खेत ख.नं. 326 रकबा 0.34 है. भूमि में जाने के लिए 12 फुट चौड़ा कटानी रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:42:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

दिलाया जाकर उस रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर नक्शा तरमीम किया जावे तथा उक्त रास्ते के लिए धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राशि निर्धारित कर उसके खातेदारों को दिलाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष को अस्वीकार कर कथन किया है कि प्रार्थी कदीम से बेसरड़ा से नांगलिया गुर्जरवास जाने वाली सड़क के दक्षिण से ख.नं. 303 व 304 के मध्य से व इसी प्रकार ख.नं. 309 व 310 के मध्य से व ख.नं. 325 के सहारे–सहारे अपनी कृषि भूमि में आता जाता रहा है इसी प्रकार से रास्ता मौजूद है। प्रार्थी ने रंजिशवश ख.नं. 302, 300, 315, 323 के सहारे गलत रास्ता बताया है ख.नं. 323 व 325 के मध्य ख.नं. 324 है जिसमें मकान बने हुए है जिसमें से रास्ता संभव नहीं है। प्रार्थी ख.नं. 309, 310 के मध्य से व 325 के सहारे–सहारे अपनी भूमि में आवागमन करता है प्रार्थी के पास रास्ता मौजूद है। प्रार्थना पत्र के लिए कोई आधार विवाद पैदा नहीं हुआ है। प्रार्थी के पास पहले से रास्ता मौजूद है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र रंजिशवश झूठा पेश किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण सं. 6 लगायत 14 ने इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थी के खेत ग्राम बेसरड़ा स्थित खसरा नंबर 326 रकबा 0.34 है. भूमि में जाने के लिए बेसरड़ा से नांगलिया गुर्जर मुख्य सड़क से अप्रार्थीगण की कब्जा काश्तशुदा भूमि ख.नं. 302 रकबा 0.48 है. की उत्तरी मेड के सहारे–सहारे फिर खसरा नंबर 300 रकबा 0.55 है. की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे फिर ख.नं. 315 रकबा 1.11 है. की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे फिर ख.नं. 323 रकबा 0.20 है. की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे फिर ख.नं. 321 रकबा 0.39 है. की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे प्रार्थी के खेत ख.नं. 326 रकबा 0.34 है. भूमि में जाने के लिए प्रार्थी को 12 फुट चौड़ाई में रास्ता दिलवाया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर नक्शा तरमीम किया जावे तो इसके लिए अप्रार्थी सं. 6 लगायत 14 सहमत है तथा अप्रार्थी सं. 6 लगायत 14 को किसी प्रकार की कोई उज्र आपत्ति नहीं है।

अप्रार्थी सं. 15 से 16 बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:42:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

तहसीलदार, खेतड़ी से विवादित भूमि के सम्बंध में मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांक: राजस्व/2021/1803 दिनांक 21.09.2021 से बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत की है कि :–

1. प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है और जोत के लिए सुविधाजनक एवं आवास के लिए है।
2. अन्य खातेदार को जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होता है।
3. प्रस्तावित रास्ते के प्रथम बिन्दु से आवेदक की भूमि तक रास्ते को सीमांकित/दर्शित नक्शा ट्रेस संलग्न है। प्रस्तावित रास्ता निकटतम व लघुतम है।
4. प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि का क्षेत्रफल 1080 वर्गमीटर है तथा DLC दर से भूमि की कीमत रू. 1,17,380/– है जिसकी दुगुनी राशि रूपये 2,34,760/– बनती है।

प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी संवत् 2076–2079 खाता सं. 126, खाता सं. 103, खाता सं. 12, खाता सं. 211 व खाता सं. 134 ग्राम बेसरड़ा पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी व भू–अभिलेख निरीक्षक वृत मेहाड़ा जाटूवास का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। तहसीलदार, खेतड़ी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.09.2021 के संलग्न नजरी नक्शा भू–अभिलेख निरीक्षक वृत मेहाड़ा जाटूवास में स्पष्ट किया है कि प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। प्रस्तावित रास्ते (नजरी नक्शा में दर्शित) के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम दूरी का रास्ता पहुंच के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को खसरा नंबर 326 में पहुंचने हेतु खसरा नंबर 302,300, 315, 323, 321 में से प्रस्तावित (नजरी नक्शे में लाल स्याही से) मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्तें में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल 4 मीटर चौड़ाई में 1080 वर्गमीटर बनता है। प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 326 में आने–जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के प्रावधानों की पूर्ति करता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:42:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

आदेश

अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी दिनांक 21.09.2021 के प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बेसरड़ा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 326 रकबा 0.34 है. में जाने के लिए बेसरड़ा से नांगलिया गुर्जर मुख्य सड़क से अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.नं. 302 रकबा 0.48 है. की उत्तरी मेड के सहारे–सहारे, खसरा नंबर 300 रकबा 0.55 है. की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे, ख.नं. 315 रकबा 1.11 है. की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे, ख.नं. 323 रकबा 0.20 है. की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे होते हुए ख.नं. 321 रकबा 0.39 है. की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे 4 मीटर चौड़ाई में पुख्ता आम रास्ता ख.नं. 326 तक नजरी नक्शा (प्रदर्श–अ) में लाल स्याही से अंकितानुसार कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। चूंकि पक्षकारान प्रतिकार की रकम पर आपस में सहमत नहीं हुए है। अतः उक्त प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान DLC की दर से 1080 वर्गमीटर भूमि की कीमत 1,17,380 रू. होती है जिसकी दुगुनी राशि 2,34,760/–रू. (अक्षरे दो लाख चौंतीस हजार सात सौ साठ रूपये) प्रार्थी तहसीलदार, खेतड़ी के समक्ष जमा करवायेंगे। तहसीलदार, खेतड़ी खसरा नंबर 302, 300, 315, 323, 321 के खातेदारों/अप्रार्थीगण को प्रतिकार की राशि रू. 2,34,760/– नियमानुसार अदा करेंगें। तदनुसार भूमि खसरा नंबर 302, 300, 315, 323, 321 के रकबे में से रास्ते की बाबत 1080 वर्गमीटरभूमि निर्वापित कर राजस्व रिकार्ड में किस्म "गैर मुमकीन रास्ता" के रूप में राजकीय खाते में अभिलिखित करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 22–04–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(Seal: कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी, जिला-झुन्झुनूं (राजस्थान))

(signature)

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर
खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:42:06 IST
Reason: SelfAttested